रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267507
CG-DL-E-10112025-267507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 717] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

फा. सं. एम-1/001(05)/2024-पीबीआरबी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप-धारा (1), (2) और (5) के साथ पठित धारा 33, की उप-धारा (2) के खंड (ग), (घ) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन विनियमों को "प्रसार भारती में प्रतिनियुक्तिवत माने गए सरकारी कर्मचारियों और प्रसार भारती के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) पदोन्नति प्रक्रिया विनियम, 2025" कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 11 की उपधारा (1), (2) और (5) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी,-

(क) किसी भी ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली विभागीय पदोन्नति रिक्तियों को संबंधित फीडर ग्रेड में कर्मचारियों की दो श्रेणियों अर्थात, प्रसार भारती में प्रतिनियुक्तिवत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और प्रसार भारती कर्मचारियों के बीच उद्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली विभागीय पदोन्नति रिक्तियों को फीडर ग्रेड में पात्र कर्मचारियों की दो श्रेणियों के बीच उनकी संबंधित संख्या के अनुपात में, उद्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) इन विनियमों के अंतर्गत इन रिक्तियों को उद्दिष्ट और उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसार भारती के किसी भी कर्मचारी को उद्दिष्ट रिक्तियों पर उन सभी प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों पर विचार किए बिना पदोन्नत न किया जाए जो पहले फीडर ग्रेड में आए थे और *विपर्येण,* यह सिद्धांत प्रत्येक संबंधित श्रेणी (अर्थात सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांगजनों) में लागू होगा;

(घ) कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष के लिए रिक्तियों की कुल संख्या और उद्दिष्ट रिक्तियों को, संबंधित विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किया जाएगा;

(ड) किसी विशेष पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटे के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों को, संबंधित पद के लिए संबंधित परीक्षा में उनकी मेरिट के अनुसार, दोनों श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा;

(च) पदोन्नति के लिए रिक्तियों के उपयोग की उपर्युक्त निर्धारित पद्धति, रिक्ति वर्ष 2025 से लागू होगी, जिन मामलों में पूर्ववर्ती रिक्ति वर्षो के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां अभी तक आयोजित नहीं हुई हैं, ऐसी लंबित विभागीय पदोन्नति समितियों के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों की समीक्षा नहीं की जाएगी; और

(छ) इन विनियमों के माध्यम से पदोन्नति से पहले और बाद में, दोनों श्रेणियों के पदोन्नत अधिकारी और कर्मचारी अपनी सांविधिक व्यवस्था, भर्ती नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लागू दिशानिर्देशों के अधीन रहेंगे और इन विनियमों के अनुसार, उनकी वरिष्ठता सूची को अलग से बनाए रखा जाएगा.

संजीव कुमार सक्सेना, अपर महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./451/2025-26]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

F. No. M-1/001(05)/2024-PBRB.—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (d) and (i) of sub-section (2) of section 33, read with sub-sections (1), (2) and (5) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations,namely:—

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) procedure for promotion of Government employees on deemed deputation to the Prasar Bharati and the officers and employees of the Prasar Bharati Regulations, 2025.

p(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Following procedure for promotion shall be applicable to the officers and employees referred to in sub-sections (1), (2) and (5) of the section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act,1990,—

(a) departmental promotion vacancies arising in a particular year in any grade, shall be earmarked between the two categories of employees i.e., Government employees on deemed deputation to the Prasar Bharati and Prasar Bharati employees, in the respective feeder grades;

(b) departmental promotion vacancies arising in a year shall be earmarked between the two categories of eligible employees in the feeder grade, in proportion to their respective numbers;

(c) earmarking and utilising these vacancies under these regulations, it shall be ensured that no Prasar Bharati employee is promoted against earmarked vacancies before the consideration of all Government employees on deemed deputation who entered the feeder grade earlier and *vice versa,* this principle shall apply within each respective category (i.e. General/ Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Persons with Disability);

(d) total number of vacancies and the earmarked vacancies for each year, corresponding to the respective categories of employees, shall be duly recorded in the minutes of the concerned Departmental Promotion Committees;

(e) vacancies falling under the Limited Departmental Competitive Examination quota for a particular post, shall be filled from both categories of eligible employees, as per their merit in such exam for the respective post;

(f) method of utilisation of vacancies for promotions, as described above, shall be applicable from the vacancy year 2025 onwards, in cases where Departmental Promotion Committees for earlier vacancy years have not yet been held, this method shall also be followed for such pending Departmental Promotion Committees, if Departmental Promotion Committees conducted prior to the issue of this notification shall not be reviewed; and

(g) before and after promotion through these regulations, officers and employees of both categories shall continue to be governed by their respective statutory provisions, recruitment rules and Department of Personnel and Training guidelines as applicable to them and their seniority lists shall be maintained separately, in accordance with these regulations.

SANJEEV KUMAR SAXENA, Addl. Director General
[ADVT.-III/4/Exty./451/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.10 12:41:11 +05'30'